सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

NINETH REPORT

(Presented on 24th September, 2001)

नौंवा प्रतिवेदन

(24 सितम्बर, 2001 को सदन में प्रस्तुत)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

NINETH REPORT

(Presented on 24th September, 2001)

नौंवा प्रतिवेदन

(24 सितम्बर, 2001 को सदन में प्रस्तुत)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

नौंवा प्रतिवेदन

(दिनांक 24 सितम्बर,2001 को सदन में प्रस्तुत)

समिति का गठन :

1.	चौ0 प्रेम सिंह,माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्री अजय माकन	सदस्य
4.	श्री शादी राम	सदस्य
5.	श्री हरशरण सिंह बल्ली	सदस्य
6.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस.के.शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्वार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री जी.सी.मेहता	अवर सचिव

प्र ति वे द न

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की बैठक दिनांक 21.9.2001 को अप.3.00 बजे माननीय अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

सर्वप्रथम समिति को सूचित किया गया कि दो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक : महिला आरक्षण विधेयक,2001 द्वारा श्री मुकेश शर्मा और दंड प्रकिया संहिता(संशोधन) विधेयक,2000 द्वारा श्रीमती अंजलि राय पहले ही पुरस्थापित किये जा चुके हैं और विधान सभा नियमों के नियम 126 के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए विचार के लिये सूचीबद्व किये जाने की आवश्यकता है । समिति ने निर्णय लिया कि इन विधेयकों को 28 सितम्बर,2001 को सूचीबद्व किया जाये ।

श्री नन्द किशोर गर्ग ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि चूंकि दंड प्रकिया संहिता(संशोधन) विधेयक के प्रभारी सदस्य स्वयं मंत्री स्तर के बराबर के पदधारी हैं और मंत्री स्तर की सारी सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं इसलिये यह उचित होगा कि वे अपना विधेयक संबंधित विभाग अथवा कम से कम मंत्री के माध्यम से भेजतीं । श्री अजय माकन ने ध्यान दिलाया कि इस तरह की कार्रवाई से विधेयक इत्यादि दिये जाने के सदस्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना होगा । गैर सरकारी सदस्य की हैसियत में और सदस्य को मंत्री स्तर के बराबर का दर्जा देना उचित नहीं है, केवल इसलिये कि वह वैधानिक पद धारण किये हुए है ।

विधान सभा सचिवालय ने विचार व्यक्त किये कि नियमानुसार गैर सरकारी सदस्य वह है जो मंत्री नहीं है और इस मामले में विधेयक का प्रभारी सदस्य मंत्री नहीं हो ।

तत्पश्चात् सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि विधेयक की प्रभारी सदस्य (श्रीमती अंजलि राय) गैर सरकारी सदस्य हैं और इस प्रकार उनके विधेयक पर विचार किया जा सकता है ।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि रा0रा0क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सदस्य (वेतन,भत्ते,पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक,2000 द्वारा डॉ.जगदीश मुखी, जिसे पिछले शीतकालीन सत्र में प्राप्त किया गया था और जिसमें वित्त निहित है, को उपराज्यपाल को भेज दिया गया है । उपराज्यपाल की संस्तुति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसलिये समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक को लम्बित रखा जाये ।

पिछली बैठक में मुख्य सचेतक ने समिति को सूचित किया था कि इसी विषय पर सरकारी विधेयक अंतिम अवस्था में है।

प्राप्त हुई थी लेकिन सदन के स्थगित हो जाने के कारण ये विधेयक पुरःस्थापित नहीं किये जा सके । प्रत्येक विधेयक के संबंध में समिति का निर्णय इस प्रकार है :

1.	दिल्ली वरिष्ठ नागरिक सम्मान विधेयक,2001(श्री मुकेश शर्मा)	चूंकि विधि विभाग की राय है कि विधान सभा इस विषय पर कानून बनाने में सक्षम है और इसमें वित्त निहित नहीं है । समिति ने निर्णय लिया कि सदस्य को विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाये ।
2.	दिल्ली सिक्ख गुरूद्वारा (संशोधन) विधेयक,2001 (श्री अरविन्दर सिंह लवली)	समिति को अवगत किया गया कि कुछ इसी तरह का एक विधेयक पूर्व में विधान सभा द्वारा पारित किया गया था परन्तु उस पर अभी तक राष्टपति की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि विधान सभा विधान बनाने में सक्षम है और वर्तमान विधेयक में पिछले विधेयक से अलग कुछ अतिरिक्त प्रावधान है,अतः विधेयक को इस तरह प्रारंभिक स्थिति में रोकना उचित नहीं होगा । अतः समिति ने निर्णय लिया कि सदस्य को विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाये ।

समिति को सूचित किया गया कि आगामी सत्र के लिये चार गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक विधेयक के संबंध में समिति का निर्णय उसके साथ में दिया गया है :

1.	कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक,2001 (श्रीमती अंजलि राय)	चूंकि विधि विभाग की राय है कि यदि इस विधेयक को कानून में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इससे राजस्व की हानि आवश्यक होगी और इस प्रकार से इसमें वित्त निहित है,अतः पुरःस्थापन से पूर्व इसे उपराज्यपाल को उनकी सिफारिश के लिये भेजना पड़ेगा ।
2.	भारतीय स्टैम्प(दिल्ली संशोधन) विधेयक,2001(डॉ.जगदीश मुखी)	समिति ने महसूस किया कि चूंकि इस विधेयक में भी वित्त निहित है,अतः इसे भी उपराज्यपाल को उनकी संस्तुति के लिये भेज दिया जाये ।
3.	दिल्ली गैर सरकारी सुरक्षा एजेंसियों का पंजीकरण विधेयक,2001 (श्री मुकेश शर्मा)	समिति ने महसूस किया कि विधि विभाग की राय के अनुसार विधेयक की विषय वस्तु आंशिक रूप से केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि संख्याः5 के अंतर्गत आती है जिसे इस तरह से पढ़ा जाता है : अस्त्र,अग्नेयास्त्र,हथियार एवं विस्फोटक, और आंशिक रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि संख्याः2 में आता है जिसे इस प्रकार पढा जाता है : जन आदेश, और पुलिस, विधेयक को विधि विभाग की राय के साथ सदस्य को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया जाये कि वे इसमें उचित संशोधन करें ताकि विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सके ।

3.	दिल्ली अभिभावक संरक्षण विधेयक,2001 (श्री अरविन्दर सिंह लवली)	चूंकि विधेयक हिन्दी भाषा में है और रा.रा.क्षेत्र अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विधि विभाग ने विधेयक की अंग्रेजी की प्रति मांगी है । सचिवालय ने सूचित किया कि माननीय सदस्य से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि विधेयक की अंग्रेजी की प्रति भेजें । समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक को फिलहाल लम्बित रखा जाये ।

4. सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा विधेयक, 2001
(श्री अरविन्दर सिंह लवली)

सचिवालय ने समिति को सूचित किया कि विधि विभाग की राय है कि चूंकि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है, अतः सरकारी कर्मचारियों पर केन्द्रीय सेवा नियम लागू होते हैं और कर्मचारियों के सेवा मामलों के संबंध में अन्य कानून संसद द्वारा बनाये जाते हैं । तथापि, श्री अजय माकन के विचार थे कि विधान सभा उन सभी मामलों मे कानून बनाने में सक्षम है जो राज्य सूची में सम्मिलित है अथवा प्रविष्टि संख्या : 1,2 और 18 को छोडकर जो विशेष रूप से उल्लिखित हैं , श्री लवली के विधेयक की विषय वस्तु पूरी तरह से राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या : 41 के अंतर्गत आती है ।

उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभिक रूप में विधेयक सेवा नियमों से संबंध नहीं रख सकता परन्तु विधेयक का उद्देश्य प्रशासन में स्वच्छता एवं पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को जड से समाप्त करना है । जब सचिवालय ने ध्यान दिलाया कि आई.ए.एस और दानिक्स स्तर के वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों और विनियमों के अंतर्गत आते हैं, एक अन्य सदस्य श्री नन्द किशोर गर्ग ने कहाकि जब ये अधिकारी दिल्ली में नियुक्त होते हैं तो वे दिल्ली सरकार के नियंत्रण और अनुशासन में रहते हैं, अतः विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकता है ।

श्री मंगत राम सिंघल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहाकि सदन को और दिल्ली की जनता को गैर सरकारी सदस्यों के विचारों और सुझावों को जानने का अधिकार है

इसलिये सदस्य द्वारा इस तरह के विधेयक को तैयार करने की भावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

मामले में सबकी सहमति को मददेनजर रखते हुए सभापति ने व्यवस्था दी कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाये और विचार के लिये लिये जाने की स्थिति में सरकार सदन में इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें ।

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि सदस्यों से कुल 29 संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है । समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2001 को विधेयकों के पुरःस्थापन/विचारण के पश्चात् इन संकल्पों को लिया जायेगा और उनके लिये निम्नानुसार समय निश्चित किया :

क.सं	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	यह सदन देश में शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण किये जाने के प्रयासों की घोर निन्दा करता है और हमारे संविधान के प्रावधानों के आधार पर बनी धर्म निरपेक्ष शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के समर्थन करने का संकल्प करता है ।	30 मिनट
2.	श्री साहब सिंह चौहान	यह सदन संकल्प करता है कि चूंकि शिक्षा	15 मि0

2. श्री साहब सिंह चौहान — यह सदन संकल्प करता है कि चूंकि शिक्षा राज्यों का विषय है, अतः अन्य राज्यों की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना दिल्ली माध्यमिक स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिये ।

3. श्री जिले सिंह चौहान — यह सदन संकल्प करता है कि सरकार झुग्गी झोपडी में रहने वाले लोगों को अल्टरनेटिव प्लाट आबंटित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन क्षेत्रों में सभी आधारभूत एवं नागरिक सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, सडकें, शौचालय और सीवर व्यवस्था आदि पहले से ही विधमान हो ।

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल और उनकी अनुपस्थिति में श्री नन्द किशोर गर्ग को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चौ. प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

दिल्ली,
24 सितम्बर, 2001

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS
AND RESOLUTIONS

NINETH REPORT

(Presented on 24th September, 2001)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Sh. Mangat Ram Singhal	Member
3.	Sh. Ajay Makan	Member
4.	Sh. Shadi Ram	Member
5.	Sh. Harsharan Singh Balli	Member
6.	Sh. Nand Kishore Garg	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K. Sharma	Secretary
2.	Sh. Siddharath Rao	Joint Secretary
3.	Sh. G.C. Mehta	Under Secretary

REPORT

The Eleventh meeting of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions was held in the Chamber of Hon'ble Speaker Delhi Legislative Assembly on 21st September, 2001 at 4.00 P.M.

At the outset, the Secretariat informed that two Private Member Bills viz., The Women Reservation Bill, 2001 by Shri Mukesh Sharma and The Code of Conduct of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000 by Smt. Anjali Rai which have already been introduced are required to be listed for consideration in view of the provisions of Rule 126 of Assembly Rules. The Committee decided that the Bills be listed on 28th September, 2001.

Shri Nand Kishore Garg raised an objection that since member-in-charge of code of criminal procedure (Amendment) Bill held a position equivalent to a Minister and enjoys the ministerial perks and facilities it is but appropriate that she sends her Bill through the concerned department or at least through the Minister. Sh. Ajay Maken pointed out that such a course of action would infringe the Member's right to give notices of Bills etc. in the capacity of a Private Member and that it was improper to equate a Member with a Minister simply because he or she hold a statutory office.

The Assembly Secretariat's view was that as per rules, a Private Member is one who is not a Minister and in the instant case, the member-in-charge of the Bill was not a Minister.

The Chairman thereafter ruled that member-in-charge of the Bill (Smt. Anjali Rai) was a Private Member and her Bill could be listed as such.

The Committee was also informed that The Delhi Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi (Salaries, Allowances, Pension) etc. (Amendment) Bill, 2000 by Dr.Jagdish Mukhi which was received in the previous Winter Session and which contained financial implications was sent to Lt.Governor. The recommendations of Lt.Governor have not been received, so far, and therefore, the Committee decided to keep the Bill pending.

The Chief Whip had informed the Committee in the last meeting that Govt. Bill on the subject was at finalisation stage. The Committee, therefore, desired that the provisions contained in Dr.Mukhi's Bill may, if possible, be suitably incorporated in the draft Bill and requested the Chief Whip to communicate the Committee's feeling to the Government in this regard.

The Committee was also informed that the notices of following three Private Members Bills had been received during the previous Session but these Bills could not be introduced due to adjournment of House. The Committee's decision in respect of each Bill is given as under :-

1	The Delhi Senior Citizens Honour Bill, 2001. (By Shri Mukesh Sharma	Since as per Law Deptt.s' opinion the Assembly is competent to enact law on the subject and there are no financial implications, the Committee decided that the Member may be allowed to introduce the Bill.
2.	The Delhi Sikh Gurudwara (Amendment) Bill, 2001. (By Sh.Arvinder Singh Lovely.)	The Committee was apprised that somewhat similar Govt. Bill was earlier passed by the Assembly but is yet to be assented by the President. The Committee decided that since the Assembly has the legislative competence, and the present Bill contains some additional provisions different from the earlier Bill, it may not be proper to withold the Bill at the threshold stage. The Committee, therefore, decided that the

		Member may be allowed to introduce the Bill.
3	The Delhi Parents Protection Bill, 2001. (By Shri Arvinder Singh Lovely)	Since the Bill is in Hindi language, the Law Deptt. had desired English version of the Bill as per Section 35 of the NCT Act. The Secretariat apprised that the Hon'ble Member has already been requested to supply the English version also. The Committee decided that the Bill may be kept pending for the present.

The Committee was informed that for the ensuing Session, the notices of four Private Members Bills have been received and the Committee decision in respect of each Bill is given juxta-position :-

1.	The Court fees (Amendment) Bill, 2001. (Mrs. Anjali Rai)	Since the Law Deptt.'s opinion is that the Bill if enacted into law would entail loss of revenue and hence has financial implications, it may before introduction be sent to LG for his recommendation.
2.	The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2001.	The Committee felt that since this Bill also have financial implications

	(By Dr.Jagdish Mukhi)	are involved, the Bill may be sent to LG for his recommendation.
3	The Delhi Compulsory Registeration of Private Security Agencies Bill, 2001. (By Shri Mukesh Sharma.)	The Committee felt that since as per Law Deptt.'s opinion the subject matter of the Bill partly falls under entry 5 of the Union List reading as "arms, fire arms, ammunitions and explosives" and partly under entry 2of the State List reading as "public order" and "Police", the Bill may be returned to the Member alongwith the Law Deptt.'s opinion requesting him to suitably revise the Bill so that it could be introduced.
4.	The Declaration of Assests by ~~Civil~~ Govt Servants Bill, 2001. (By Sh.Arvinder Singh Lovely)	The Secretariat informed the, Committee that as per the Law Deptt.'s opinion since Delhi is a Union Territory, the Govt. servants are therefore, subject to the Central Services Rules etc. and the competency may rest with the Parliament to frame Law regarding service matters of employees. However, Shri Ajay Maken's view was that Delhi Assembly was

competent to make laws on all those subject listed in the State List or Concurrent List except entries 1,2 and 18 which have been specifically mentioned and the subject matter of Shri Lovely's Bill was very much covered under entry 41 of State List. He further contended that the Bill in question did not primarily deal with the Service Rules but was aimed at bringing cleanliness and transparency in administration and rooting out corruption etc.

When the Secretariat pointed out that the senior-level officers such as IAS and DANICS are governed by Central Civil Services Rules and Regulations another member Shri Nand Kishore Garg stated that when posted in Delhi these officers have to be subject to the control and discipline of Delhi Govt. hence the Bill could be introduced.

Shri Mangat Ram Singhal was also of the view that the House and the people of Delhi have a right to know as to what are the views and suggestions of the Private Member and therefore his efforts in drafting such a Bill should not go unnoticed.

In view of the unanimity on the issue

	the Chairman ruled that the Bill would be allowed to be introduced and at the consideration stage the Government may give its reactions on the Floor of the House.

Resolutions

The Committee was informed that in all 29 Resolutions were received from the Members and the following three found place in the balloting. The Committee decided the same be listed on Friday the 28th September, 2001 after the Bills and allotted time each as under :-

S.No.	Name of the Member	Text of the Resolution	Time Allotte
.	Shri Arvinder Singh Lovely	"This House strongly condemns the attempt made to saffronise the education system in the country and resolves to support the implementation of secular education policy based on the provisions of our Constitution."	30 mn
2.	Sh. Sahab Singh Chauhan	"This House resolves that NCT of Delhi like other states and considering that education is a State subject have its own independent Delhi Board of Secondary Education."	15 mn
3.	Sh. Jile Singh Chauhan	"This House resolves that as and when the Govt. allots alternative plots to the poor people residingin juggi Jhopris, it should be ensured that basic facilities and civic amenities such as drinking water, road, hospitals, toilets and drainage system are made available to them in advance."	15 mnt

The Committee authorisd Shri Mangat Ram Singhal and in his absence Shri Nand Kishore Garg o present the Report of Committee to the House.

DELHI
24th SEPTEMBER,2001

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER
BILLS AND RESOLUTIONS